

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
कार्यालय-उपजिलाधिकारी, तहसील विकासनगर, देहरादून।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य सील/ध्वस्त करने हेतु नोटिस)

पत्रांक : 87 / वाद सं० सी-0129/एस-सहसपुर/2023

दिनांक: 08/02/2025

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री अंकित चौहान एवं अमन, शंकरपुर, सहसपुर रोड, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/स्थल पर स्थल पर लगभग 50 गुणा 28 फीट के क्षेत्रफल में व्यवसायिक निर्माण हेतु बुनियाद का कार्य किये जाने व स्थल पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० सी-0129/एस-सहसपुर/2023 योजित किया गया। उक्त अवैध निर्माण को दिनांक 17/2/2025 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्त की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध राने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पी०अधि०/उपजिलाधिकारी,

कार्यालय-उपजिलाधिकारी,

तहसील विकासनगर, देहरादून।

- प्रतिलिपि:-1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को उक्त कार्य को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।
2. पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुये पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध राने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
5. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को एक जे०सी०बी० एवं ध्वस्तीकरण से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. विपक्षी श्री अंकित चौहान एवं अमन, शंकरपुर, सहसपुर रोड, देहरादून विपक्षी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त तिथि को आप स्वयं स्थल पर उपस्थित रहें एवं स्थल से अपना सम्पत्त सामान हटा ले। शेष नियम व शर्त पूर्व प्रेषित पत्रांक 3628 दिनांक 04.09.2023 आदेश की शर्त यथावत रहेगी।

पी०अधि०/उपजिलाधिकारी,

कार्यालय-उपजिलाधिकारी,

तहसील विकासनगर, देहरादून।

